[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। कामरोको प्रस्ताव लाने का एक ही उद्देश्य था कि बिहार की विगड़ती हुई स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया जाये। निगम 184 में चर्चा हो सकती है या नियम 193 भी चर्चा का उपकरण प्रदान करता है लेकिन आज देश इस सत्र और ससंद की ओर आशाभरी निगाह से देख रहा है। अगर हम पहले ही दिन बिहार की स्थिति पर चर्चा न उठाते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन करने से चूक जाते। सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं। सरकार तो अपनी निष्क्रियता के कारण कटघरे में है ही। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं। पांडव पांच ही थे परन्तु यहां तो 15-15 पांडव विराजमान हैं। मैं नहीं समझता इससे समस्या का समाधान निकलेगा। संयुक्त मोर्चा बनाया, उसे चलाना आपकी जिम्मेदारी है लेकिन, प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था कि स्टेट को बचाना है और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक, आज खतरे में है और रिपब्लिक की रक्षा के लिये कदम उठाना होगा। पार्टियों गौण हैं। गणतंत्र की 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्यौहार मनाने के लिये जैसा उत्साह चाहिये, वैसा उत्साह नहीं है तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद की आवश्यकता है. . .निर्मम, निरीह। बार-बार कहा जाता है कि किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यह कहा जाता है लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं है। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा है कि कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं ? उनमें विलंब क्यों हो रहा है ? यह सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्यौहार तो हम मनाएंगे लेकिन अगर हम भविष्य की चिन्ता नहीं करेंगे तो यह स्वतंत्रता का त्यौहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए, वह उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते और इसीलिए सारे सदन का झकझोरने के लिए मैं अपना कामरोको प्रस्ताव लाया हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो"।

श्री तारिक अनवर.

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्षमा करें। हां, आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सबकी बात सुनकर प्रधान मंत्री बोलें तो अच्छा होगा। . . . *(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह क्या है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो आप बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं ? यह क्या बात है? मैं बार-बार आपको कह चुका हूं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार इसका निर्णय आपको नहीं लेना है। इसका निर्णय मुझे लेना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कल भी आपने यही किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनकर बोलें। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैंने अब माननीय प्रधान मंत्री जी को बोलने के लिये कहा है। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने प्रधानमंत्री को बोलने के लिये कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये किस तरह की बात है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही वृत्तांत में यह सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधान मंत्री जी किसी भी समय बीच में बोल सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनने के बाद बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। ... *(व्यवधान)* सबकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं और सबसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। यह स्थिति है। हम लोगों ने मिलने के लिए अनेक बार प्रयास किया है। ये मिलना भी नहीं चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री जी अब बोलना चाहते हैं। और इसीलिये इसे स्थगित कर दिया है। ... *(व्यवधान)* श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे 4 बजे तक स्थगित रखना स्वीकार कर लिया है जिससे कि वे यहां उपस्थित रह सकें ... *(व्यवधान)*। इसके बाद, अब वे यह मुद्दा उठा रहे हैं ... *(व्यवधान)* ? यह उचित नहीं हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नीतिश कुमार जी, सुबह, इस पर चर्चा करने के लिये 2 बजे का समय नियत किया गया था। किंतु प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने 4 बजे का समय निश्चित किया जिससे प्रस्ताव प्रस्तुत होते ही वे उस पर बोल सकें। यह मेरी गलती थी कि मैंने किसी और सदस्य का नाम पुकार लिया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मैं आपका आभारी हूं। मैं विपक्ष के नेता का भी आभारी हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। मेरे विचार से एक बात पर हम सभी सहमत हैं, मैं "सभी" शब्द पर बल दे रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें तत्काल और दृढ़तापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहले दिन जब मैं विश्वास मत प्राप्त करते समय सभा में बोल रहा था तो मैंने तीन वायदे किए थे। मुझे प्रसन्नता है और में विपक्ष के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने उन सब वायदों को दोहराया जो मैंने किये थे। मैं उन्हें फिर दोहराता हूं और उनकी पुष्टि करता हूं। "मैं विपक्ष के नेता का इस बात के लिये भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर अपने वायदों से मुकरने का आरोप नहीं लगाया है। आज मुख्य मुद्दा यह है कि सभा के समक्ष कौन सा प्रस्ताव है यह बात ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विस्तार से बिहार के बारे में कहा। उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है और मैं इस मामले पर बोलूंगा। मेरे विचार से इस मामले पर चर्चा करना और इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने अन्त में कहीं कि यह प्रस्ताव उन्होंने हमारे ध्यान आकृष्ट करने के लिए पेश की हैं यदि यह इरादा था तो फिर यह प्रक्रिया नियमों के किसी अन्य नियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था न कि स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जैसा मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

किंतु उस मुद्दे पर मैं आपका समय नहीं लूंगा। महोदय जैसा आप जानते हैं मैंने अनेक बार कहा है और मैं पुनः कहता हूं कि अनेक कारणों से मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं। उनमें से एक कारण यह है कि वह बहुत सौम्य, संतुलित, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और एक कार्यकर्त्ता के रूप में विख्यात हैं। इसलिए जब वह निष्क्रियता की बात करते हैं तो मेरे विचार से या तो इस शब्द के अनुवाद में कुछ गड़बड़ी है या अंग्रेजी की वजह से वह संभ्रमित हो गये है। मुख्य मुद्दा यही है कि जिस दिन से मैंने यह पद धारण किया है यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है—पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति पर चाहे वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई अन्य, भ्रष्टाचार का अभियोग लगाया गया है, उसे स्वेच्छा से पद त्याग देना चाहिए। मैंने यह जनता के बीच कहा है और जनता के बीच इसकी मांग की है। मैंने यह निजी तौर पर भी कहा है और मैंने अपना संदेश निजी तौर पर भी पहुंचाया है मैं आप फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहता है उसे स्वयं को संदेह से परे रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की सत्यनिष्ठा नहीं अपनाते जीवन कभी भी नहीं चल सकता हैं। मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि विशेषरूप से स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में हम सभी को दृढ़ता से इस दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने आपत्ति जाहिर की ओर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि मैं जनता से सहयोग के लिए क्यों कहता हूं। तो चुनाव लड़ते हैं, क्या यह सच नहीं है या क्या उन्हें नहीं पता कि लोग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है ? क्या लोग उन्हें नहीं बताते कि किसी नक्शे या प्लान या किसी चीज को स्वीकृत कराने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है ? हर पुलिस स्टेशन में इस बावत शिकायतें दर्ज हैं। क्या वह नहीं जानते कि भ्रष्टाचार के कारण रोजमर्रा का जीवन दयनीय और दूभर हो गया है ? क्या वह यह नहीं जानते है। ? और यदि उस संदर्भ में मैंने जन सहयोग मांगा तो क्या कोई गलत काम किया ? क्य आप मात्र राजनीतिज्ञों पर हमला करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकते हैं ? हां यह महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन है। संदेह से परे रहना चाहिए। अन्यथा, हम लोकतंत्र नहीं चला पायेंगे। जो कुछ उन्होंने मुझे कहा मैं वह पूरी तरह दोहराता हूं कि सार्वजनिक जीवन सत्यनिष्ठा और नैतिकता के बिना नहीं चल सकता है। नैतिकता सदैव बहुत महत्वपूर्ण रही है और वही हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का सारतत्व है। गांधी जी सदैव साध्य और

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

साधनों की बात करते थे और वे साध्य और साधन आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हम लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हमें संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने अभी मेरा ध्यान न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया और मुझे भी लगभग उन्हीं के साथ-साथ इस आशय का संदेश मिला है। यदि वह इसे नहीं भी पढ़ते तो भी मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका होता। मैं उन्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम निश्चित तौर पर स्थिति का सामना करेंगे। आखिर केन्द्रीय सरकार की दो एजेंसियां है जिनके द्वारा इसका कामकाज चलता है।

जहां तक राज्यों का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) का अक्सर जिक्र होता है। सी०बी०आई० और क्या है ? सी०बी०आई० श्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चला रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि सी०बी०आई० भारत सरकार की एजेंसी है ? क्या यह सत्य नहीं है कि सी०बी०आई० की अपने कृत्यों के लिए रचनात्मक जिम्मेदारी है, और इस हिसाब से मैं इस सदन के प्रति जवाबदेह हूं। यदि ऐसा है तो निष्क्रियता कहां से आ गई ? एक समय यह कहा गया कि सी०बी०आई० के कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप न करें। यह सही है। हमने ऐसा नहीं किया है, और इसीलिए हमें ऐसा फल मिला है जैसा कि आप न्यायालय में देख चुके हैं। सी०बी०आई० एक बात का विरोध करती आई है जिसे कहते हैं ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : जमानत देना।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कभी कभार विधिक शब्द मेरे ध्यान में नहीं आते और मै गैर विधिक शब्दों का प्रयोग करने लगता हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई चीजें विधि के अनुरूप नहीं हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अवैध नहीं, गैर-विधिक।

श्री अटल बिहार वाजपेयी जैसे अनुभवी आदमी को राज्यपाल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। राज्यपाल की उसके आचरण की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है और उस हैसियत से वही इसका निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना है, क्या कहना है। किसी बात की अनुमति देना, न देना, सरकार को बर्खास्त करना, न करना उसके कार्य क्षेत्र की बातें हैं। मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि हमने कभी राज्यपाल को नहीं कहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बात को सही अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसलिए जब वह अनुमति देता है तो एक कानूनी मुद्दा उत्पन्न होता है, जो कि विधिक प्राधिकारियों द्वारा सलाह दिये जाने का है। यह तब की स्थिति है जब राज्यपाल अनुमति देता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो मात्र विधिक स्थिति बता रहा हू। महा-न्यायवादी द्वारा राज्यपाल को यह सलाह दी गई है, उसका कहना है कि, "मुकदमा चलाने की अनुमति देने में राज्यपाल अभियुक्त के अभियोग पर कोई निर्णय नहीं सुनाता। स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण आरोप के उल्लेख किसी शिकायत द्वारा किया जाता है और कोई बचाव अपेक्षित नहीं होता है।" वह किसी हरि राम मामले की बात कर रहे हैं जो ए०आई०आर०, 1939 का है, मैं इसका ब्यौरा सभा पटल पर रख सकता हूं ताकि सभा में इस पर विचार हो सके। इसलिए आरोप यह है कि सत्य क्या है अथवा क्या सत्य नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा।

अनुमति देते समय, राज्यपाल यह देखने के लिए केवल मुकदमा चलाने की अनुमति देता है कि क्या आरोपों का कोई आधार है ताकि अभियोगपक्ष मुकदमा लड़ सके। राज्यपाल की अनुमति की अनुपस्थिति में किसी लोक सेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आरोपी का दोष मात्र अपराधिक न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला हो, के विर्निणय द्वारा ही निर्धारित होता है।

मेरा तात्पर्य किसी का बचाव करना नहीं है। मुझे यह नहीं कहना कि यह सही है। या गलत। मैं सदन के माननीय सदस्यों को केवल यह बताना चाहता हूं कि आज सुबह विधिक प्राधिकारियों ने हम से क्या कहा। मैंने उन्हें बुलाया और उनसे बात की कि राज्यपाल के मामले में क्या स्थिति है।

मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरा ध्यान श्री सी० सुब्रहमणियम की बात की ओर दिलाया है। मैं वी वहां था और मैंने उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा था, "राज्यपाल को इसे सहर्ष वापस लेना चाहिए", उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात का न तो मैं बचाव कर सकता हूं न ही शिकायत। हममें से कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह निर्णय राज्यपाल को करना है कि क्या उनसे चूक हुई है अथवा नहीं। मैंने अपने एक साथी मंत्री के विरुद्ध अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया है, उसपर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। मैंने उन्हें उसी दिन त्यागपत्र देने को कहा और श्री वर्मा ने त्यागपत्र दिया। वह सरकार में नहीं हैं। मैं जो कहता था वह किया। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने उस दिन अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दोहराता हूं कि जब तक हम नैतिकता का आचरण न करें तब तक विशेषकर लोकतंत्र में हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। नैतिकता हमारे लिए आवश्यक है। अतः हमें सतर्क रहना है कि कोई हमपर उंगली न उठाये। मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं फिर कहूंगा कि हम सब के आचरण पर पूरी निगरानी है। इस सभा में अथवा विधन मंडलों में बैठे हुए हरेक सदस्य पर सबकी नजर रहती है। उन सब पर हर समय नजर रखी जाती है। इसीलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने हमें निर्वाचित किया है अथवा जो हमें कल पुनः निर्वाचित करेंगे या नहीं करेंगे, वे हर समय हम पर निगरानी रखते है। और निसन्देह, यदि किसी में कोई कमी पाई जाती है तो अन्ततः जनता फैसला करती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारी निहित है। किन्तु मैं अपनी जिम्मेदारी इससे अधिक मानता हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कानून का शासन बनाए रखूं।

मैं आशा करता हूं कि कोई भी मुझसे यह उम्मीद नहीं करता

होगा कि मैं कानून के शासन का अतिक्रमण करूं। हमने एक बार इसी सभा में कानून के शासन का अतिक्रमण होते देखा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य मित्र कई महीनों से जेल में थे क्योंकि उन्होंने उस बड़े आदेश का अनुपालन नहीं किया था। मैं आदेशों द्वारा शासन करना नहीं चाहता। मैं सत्तावादी नहीं बनना चाहता। मैं अपने प्रभाव को बनाए रखना नहीं चाहता, मैं कानून के शासन की सत्ता अथवा अधिपत्य बनाए रखना चाहता हूं और हम यही कर रहे हैं।

यदि हम ही कानून के शासन का अनुपालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? इसीलिए मैं यह पूरी तरह समझता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र कहां तक है और न्यायालय का कार्यक्षेत्र कहां तक है। मैं सोचता हूं यह प्रणाली बड़ी समझ बूझ के साथ बनाई गई है। संविधान इसका साक्षी है, इसका प्रमाण है। न्यायपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है। कार्यपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है। और संसद का अपना कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है। अतः हम इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं।

किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे मैं बार-बार कहूंगा, वह है सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम विश्वसनीय बने रहें। मैंने आपको विश्वास दिलाया है और आपको पुनः विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने निजी और सरकारी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री को पद से हटने की सलाह दी है। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रश्न उठता है। मै। समझता हूं, मैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपस्थित थे जब उनके दल के मुख्यमंत्रियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया जाये। वे बार-बार कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाये। वे बार-बार यही कह रहे थे *(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब मेरे साथी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई थी तब उन्होंने दो क्षेत्रों का चयन किया था और यह सहमति हुई थी कि बाहरी खतरे के समय अथवा जब आतंकवाद का खतरा हो और प्रशासन चरमरा गया हो, तब अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा क्षेत्र, जिसपर तीव्र मतभेद थे, धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न था। हम सत्ता पक्ष के सदस्यों का विश्वास है कि कोई राज्य सरकार जो धर्मनिरपेक्षवाद पर विश्वास नहीं करती है, उसे राष्ट्रपति शासन के अधीन रखना न्यायोचित होना चाहिये। किन्तु मैंने यह उस दिन भी लागू नहीं किया। श्री वाजपेयी और उनके सहयोगी भी वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा था, 'ठीक है, हम पुनः एक-दूसरे को मनाना चाहिए, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। किन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही भारत की एकता बनाए रखी जा सकती है। जबतक हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम इस देश को एक नहीं रख सकते हैं। किन्तु कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यह विश्वास करने की बात है। किन्तु हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है। इसीलिए हमने उस दिन कहा है कि अनुच्छेद 356 को केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और मैं वही पुनः रहना चाहता हूं।

महोदय, मैं अधिक समय तक बोलने नहीं जा रहा हूं। इसलिए, जिस मुख्य मुद्दे को मैं दोहराना चाहूंगा जिसके संबंध में, मैं अपने सम्माननीय सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई बात उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिये। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय स्थापित किए जायें। उनमें से कुछ ने उत्तर दिया है और कुछ ने उत्तर नहीं दिया है। उनमें से अधिकांश, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, वे आपकी पार्टी से सम्बन्धित है, मेरी पार्टी से नहीं। जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे विशेष न्यायालय स्थापित कर रहे हैं अथवा उन्होंने विशेष न्यायालय स्थापित कर लिए हैं, वे इस पक्ष से हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया उनसे कहिये, उन्हें बताइये, उनसे आग्रह करिये कि आप विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कार्यवाही करें ताकि विशेष न्यायालयों में उन मामालें को शीघ्र निपटाया जा सके और हर एक कार्य शीघ्र हो सके।

अतः एक बात जो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें वैधता और नैतिकता में अंतर करना चाहिये। नैतिकता महत्वपूर्ण है किंतु वैधता तो पवित्र है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये जिसमें से अवैधता की गंध आती हो। क्योंकि यदि इस सदन में ही यह होने लगेगा तो अन्य कौन कानून का समर्थन और पालन करेगा। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि हमारे लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सदैव इसे ध्यान में रखें।

एक अन्य मुद्दा जिस की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वह यह है कि लालूप्रसाद यादव के नाम आरोप-पत्र किसने जारी किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसके अधीन है ? केन्द्र के अधीन है। भारत सरकार के किस विभाग के अधीन यह कार्य करता है ? प्रधानमंत्री के कार्यालय के। यदि यह निष्क्रियता है तो सक्रियता क्या है, मैं नहीं जानता। यदि एक ऐसा विभाग जो कि सीधी मेरे अधीन है और जो न केवल आरोप-पत्र ही दाखिल करता है बल्कि अग्रिम जमानत का विरोध भी करता है तो यहां मेरी निष्क्रियता किस आधार पर और किसी स्तर पर साबित होती है।

यह विभाग इस तरह कार्य करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों पर भी इस संबंध में आरोप लगाए गये हैं। मुझे इसकी भी व्याख्या करनी है। इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। भारत सरकार ने जांच के दौरान यह पाया है कि दो अधिकारियों के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक अधिकारी सेवानिवृत हो चुका है। इसलिये अब यह निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यौरा या किसी अन्य पर निर्भर करता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं किंतु फिर भी कानून के नियमों को कायम रखते हुए मैंने इसे महान्यायवादी को सौंप दिया है। मैंने महान्यायवादी से यह परामर्श मांगा था कि सरकार को अनुमति दे या न दे। विधि मंत्री ने कहा है कि यह विचाराधीन है। इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियों में हमें राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहिये। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपने

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

सही कहा कि यह जनता के भविष्य का मुद्दा है। यदि हम एक साफ-सुथरा सार्वजनिक जीवन चाहते हैं तो इस विषय पर हमें एकमत होकर आवाज बुलंद करनी होगी। मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं। मेरी भाषा कोमल या कठोर हो सकती है किंतु मेरा निश्चय दृढ़ है। मैंने पहले भी आपसे यह वायदा किया था और मैं इसे फिर दोहराता हूं।

इस समय मेरे एक मित्र ने मेरा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हाल ही के निर्णय की ओर दिलाया है जिसके फलस्वरूप एक नई स्थिति पैदा हो गई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वारंट इश्यू हो गया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है। आप हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हैं, मुझे मालूम है, लालू जी के साथ आपका पर्सनल वंडेट्टा है। लालू प्रसाद आप पर मेहरबान थे। हमें मालूम है, लालू आपके मेहरबान थे, लालू आपके गाइड थे, लालू आपके फिलास्फर थे, आपके जिगरी थे। आप इतने परेशान क्यों होते हैं।

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी, आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां किस स्थिति में थे, आपको मालूम है। आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां से किस तरह से इलैक्ट होकर आए हैं, अगर यह बात हम बता दें, तो क्या ठीक रहेगा। आप राज्य सभा में किस तरह से वहां से चुनकर आए हैं, यह आपको मालूम है। अगर यह सब हम यहीं बता दें, तो आपको कैसा लगेगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं। ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुख्य बात जो मैं कह रहा था कि एक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : गुजराल साहब आपको लालू प्रसाद यादव की जरूरत हो सकती है, मुझे नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करने और व्यवधान डालने की उनकी पुरानी आदत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कल भी आपने ऐसा ही किया था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, आप बीच में टोकना आरम्भ कर देते हैं। यह सही नहीं है। वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। जब वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने हम पर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : क्या आरोप लगाया है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस तरह की बात मत कीजिए। कल भी आपने यही किया था।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सर, ...* सरकार को बर्खास्त करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सर दुर्योधन के सामने ये द्रोणाचार्य बन कर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, श्री नीतीश कुमार जी ... *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन ने जो असंसदीय शब्द इस्तेमाल किये है उन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, नीतीश कुमार मेरे पुराने मित्र हैं और मुझे उनसे लगाव है। मैंने जो कुछ भी कहा दोस्ती की भावना से कहा। मैं उन्हें पसंद भी करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप उसको विदड्रा कर लें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : धन्यवाद।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि यदि मैं। उस निर्णय से पहले बोला होता जिसके बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे तो मैं यही कहता कि इस संबंध में दो या तीन विकल्प सदैव होने चाहिये। एक नैतिकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करते हुए इसके लिये प्रेरित करना। यदि हमारी पार्टी उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि इसे करना चाहिये। जो कि दुर्भाग्यवश इस तरह से कार्य नहीं कर रही तो पार्टी से आंतरिक दबाव भी डलवाया जा सकता है। दूसरा है, अभियुक्त स्वयं हो यह अनुभव करे कि पद त्याग करना उसके अपने हित में भी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, अग्रिम जमानत के नामंजूर होने से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस मामले की पूरी जानकारी लेकर इसमें हस्तक्षेप करेगी। किंतु वह जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि हमें यह भी देखना है कि वैधता सुरक्षित रहे और कानून और नियमों का पालन हो।

अंत मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तीन बातों के लिये वचनबद्ध हूं जो कि मैंने अपना पद सम्भालने के समय कही थीं। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी दल का हो, हम माफ नहीं करेंगे। हम सदैव स्पष्टवादी, साफ और सच्चे रहेंगे। पारदर्शिता के लिए हमने कुछ और कदम भी उठाए हैं। पिछले दिनों सरकार पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी आदि के कई आरोप लगते रहे हैं। मैं एक ऐसे स्वतंत्र तंत्र की स्थापना भी कर रहा हूं जो कि यह देखे कि सभी महत्वपूर्ण खरीद इस पारदर्शी तंत्र से अवश्य निकलें अर्थात् सरकारी की पूरी निगरानी में ही महत्वपूर्ण वस्तुएं क्रय की जाएं। मैं ऐसे तंत्र की स्थापना भी करने जा रहा हूं जो यह देखे कि कोई भी वस्तु विशेषकर बड़े उपकरण जो भारत में ही क्रय किये जायें या फिर विदेशों से आयात किये जाएं, उस पर सरकार की कड़ी निगरानी हो जिससे कि ईमानदारी और सच्चाई बनी रहे।

मैंने एक और बात कही थी और मैं उस पुनः कहता हूं कि मैं विच-हंटिग अर्थात संदिग्ध व्यक्तियों को खोजना या सरगर्मी से उनकी तलाश करने के विरुद्ध हूं। आप जानते हैं हवाला केस में क्या हुआ। मैं नहीं जानता कि आप इसे विच-हंटिग के रूप में लेते हैं या नही, मैं नहीं जानता कि आप इसके पक्ष में है या विरोध करते हैं किंतु मैं एक वायदा करता हूं कि मैं कानूनी नियमों का समर्थन तथा पालन करने के लिये वचनबद्ध हूं और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मैं ऐडी जोटी का जोर लगा दूंगा।

चाहे वह कोई व्यक्ति हो तथा किसी भी दल से सम्बद्ध हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ईमानदारी, नैतिकता और उन उच्च मूल्यों को सम्मान नहीं करते जिसके लिए इस देश ने संघर्ष किया और अंततः अपने आप को आजाद कराया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी, आप उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कीजिएगा ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : सभापति जी, अभी आदरणीय अटल बिहारी जी ने मोशन पेश करते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस परम्परा की बात कही। उन्होंने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि हमारे देश की यह परम्परा है और यही मायनों में कांग्रेस के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के अंतिम प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी के समय तक कांग्रेस की जो परम्परा है, उसका जिक्र अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने कृष्णमाचारी, मालवीय और उसी तरह श्री प्रताप सिंह कैरो का जिक्र किया। यहां अंतुले जी बैठे हैं। ऐसे कई मौके आए। अभी हवाला का जिक्र किया गया जबकि हवाला में हमारे जो मंत्री थे, गर्वनर थे, उनको चार्जशीट भी नहीं दी गई थी, उससे पहले ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। जैसा मैंने कहा, जब भी ऐसा मौका आया, कांग्रेस के नेताओं ने, जिस पब्लिक लाइफ की, जिस मूल्य की, आदर्श की बातें की, हमेशा उनका पूरा ध्यान रखा है।

आदरणीय सभापति जी, जिस दिन सी०बी०आई० द्वारा लालू जी को चार्जशीट दी गई, कांग्रेस ने उसी दिन अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री सीता राम केसरी की ओर से यह सार्वजनिक मांग की गई थी कि लालू जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कांग्रेस की परम्परा है कि जब भी चार्जशीट हुई, हमारे मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और आज भी हम उसी आदर्श को मानकर चल रहे हैं। लेकिन अभी जिस आदर्श की बात, जिन मूल्यों की बात अटल जी ने की, एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि जो चार्जशीटेड हो गए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन यह कहां की नैतिकता है कि जब बी०जे०पी० के अध्यक्ष और नेता पर चार्जशीट होती है तो वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते।

[श्री तारीक अनवर]

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राव यहां बैठे हैं। जिस दिन उनके ऊपर चार्जशीट हुई, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यह कांग्रेस की परम्परा है। *(व्यवधान)* ये एक तरफ तो आदर्श की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति को, जो चार्जशीटेड है, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं। यह कहां के आदर्श की बात है ? *(व्यवधान)*

मैं अटल जी से यह आशा कर रहा था, अटल जी का सब सम्मान करते हैं, हम यह चाहते थे कि जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो वे उसका राजनैतिक लाभ उठाने के बजाए सही मायने में, जहां भी भ्रष्टाचार हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहां पुरोहित जी बैठे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। *(व्यवधान)* राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो समान रूप से होनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्यों खड़े हैं ?

श्री तारीक अनवर : क्या यह सही नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये न, आप क्यों खड़े हैं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं हालांकि इस सदन का नया मैम्बर हूं, परन्तु अब तक जो सारी बहस होती रही है, मैं प्रधान मंत्री जी से जरा ध्यान देने का आग्रह करता हूं, सारे सदन की बहस हो जाये, उसके बाद सदन के नेता जवाब देते हैं, ऐसी परम्परा है। आज उस परम्परा के विपरीत नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया। अब जो बहस हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बहस का उत्तर पुनः प्रधान मंत्री जी देंगे ? मैं सभापति जी से यह पूछ रहा हूं। केवल एक मिनट और। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप दोनों भी साथ में खड़े होंगे ? आप बैठिये न। क्यों ऐसी परेशानी कर रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति जी, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस मामले में हर मिनट पर नई घटनाएं हो रही हैं। नई समस्या है, यह बहस चलेगी, तब तक कई घटनाएं हो चुकी होंगी। बहस शुरू हुई, उस समय कोर्ट वारंट नहीं था, अभी पता लगा कि कोर्ट वारंट इश्यू हो गया। ये अरैस्ट वाली बातें बहस में आयेंगी। क्या प्रधान मंत्री जी उसका उत्तर फिर से देने की कृपा करेंगे।

श्री मुत्युञ्जय नायक (फूलबनी) : इसमें पाइंट ऑफ ऑर्डर कौन सा है ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं जानता हूं कि गृह मंत्री जी भी उत्तर दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मुत्युञ्जय नायक : पटवा जी, रूल क्या है, वह बताइये न ?

सभापति महोदय : पटवा जी, मैंने समझ लिया, आप क्या कह रहे हैं। पटवा जी, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। मगर इसका जवाब यहां गृह मंत्री भी बैठे हैं, सरकार की ओर से वे बताएंगे।

श्री सुन्दर लाल पटवा : जवाब केवल गृह मंत्री ही नहीं, सरकार का कोई भी मंत्री दे सकता है, परन्तु इस महत्वपूर्ण बहस पर जो और मुद्दे उठेंगे, क्या प्रधान मंत्री जी उसका जवाब देना जरूरी समझेंगे ?

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री जब जहां जरूरत पड़ेगी, वह प्रधान मंत्री के ऊपर है कि जवाब देना है कि नहीं देना है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप तो पुराने लैजिस्लेचर के हैं, एम०पी० हैं, मैंने इस डिबेट में इंटरवीन किया है, जवाब गृह मंत्री देंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? हम लोग तो अव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं।

श्री तारीक अनवर : यह बात सही है कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब लालू जी बिहार के मुख्य मंत्री बने थे तो उस समय हम जैसे लोगों को भी यह आशा थी, यह उम्मीद थी कि लालू जी, जो जयप्रकाश बाबू के सम्पूर्ण क्रान्ति से निकलकर आये थे और आदर्श और नैतिकता की उन्होंने बात कही थी तो उनके आने के बाद *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के यहां छह बजे से अन्तिम विदाई का समारोह होगा और 5.38 बजे या 5.40 पर सदस्यों को वहां पर पहुंचना है। यह बहस कल भी जारी रहेगी, तारिक साहब कल बोल सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस समय हाउस एडजर्न करना चाहिए। *(व्यवधान)* हां, राष्ट्रपति जी के यहां चाय है और राष्ट्रपति जी आखिरी बार सदस्यों को चाय दे रहे हैं।

सभापति महोदय : चन्द्रशेखर जी, यह मोशन तो यहां सदन को स्थगित करने का ही है। मोशन ही यह है।

श्री चन्द्रशेखर : सदन तो पांच बजे तक स्थगित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल के लिए भी मोशन लिया जा सकता है,

[अनुवाद]

प्रस्ताव ऐसा है कि–

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : कल बहस होगी तो वह बात फिर भी रहेगी, चाहे आज पांच बजे कीजिए या आठ बजे करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। अगर सदन तैयार हो जाए तो नियम में संशोधन हो सकता है और बहस कल के लिए जा सकती है। लेकिन बिना संशोधन के आप काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : नहीं कर सकते, वही तो मै कह रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर : फिर कल कैसे बहस होगी ? हर हाल में रूल को वेव करना पड़ेगा और रूल को वेव करना ही चाहिए। छः बजे करें या आठ बजे करें दोनों में फर्क क्या है। हाउस कल 12 या दो बजे तक लगातार नहीं चलता रहेगा। यह तकनीकी कठिनाई है इस समय रूप को वेव करके सदन को स्थगित किया जाना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : अगर अध्यक्ष जी चाहेंगे तो हो सकता है।

सभापति महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : श्री चन्द्रशेखर ने जो भी कहा है वह ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी वही बात कह रहे हैं। निर्वतमान भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में जलपान का आयोजन किया जा रहा है। आप यह बात समझते हैं। कि हम में से कुछ लोगों को वहां उपस्थित होना है और आज रात मंत्रिमंडल निर्वतमान राष्ट्रपति के सम्मान में एक रात्रि भोज का भी आयोजन कर रहा है। आज प्रातः जब यह मुद्दा उठाया गया था तब उस पक्ष के कुछ लोगों ने मेरे विचार से शायद उन्होंने ही कहा था कि शेष वाद-विवाद को सोमवार को लिया जा सकता है। यदि आपकी अनुमति है तथा यह नियम के अनुरूप हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : कृपया नियम को पढ़िए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आप इसका प्रस्ताव करें तथा सरकार इसका समर्थन करेगी ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्यमंत्री आप कृपया बैठे रहें। श्री शिवराज वी० पाटिल को सुने।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया सभा का ज्ञान वर्धन करें।

[हिन्दी]

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : प्रधान मंत्री जी कहां बैठे हैं, इनकी सीट कहां है ?

सभापति महोदय : वे कहीं भी बैठ सकते हैं, आप अपनी जगह बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह भी एक विषय है क्या ? जो चल रहा है उस पर ध्यान दें।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी ने जो मुद्दा यहां पर उपस्थित किया है और हम सब लोगों के जो मन में है उसका काफी महत्व है। अड़चन ऐसी है यह बहस कल नहीं हो सकती, जब तक हम रूल नहीं बदलें। तो भी इसमें से रास्ता निकालने का प्रोविजन हमारे रूल में है। कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए तो हमारे अध्यक्ष अपनी इन्हेरेंट पावर इस्तेमाल करके इसमें से रास्ता निकालते हैं। मेरा यह सुझाव है अगर आपको और सदन को पसंद आए तो इसके ऊपर अमल हो सकता है। यह बहस कल तक ले जाने के बजाए आज ही खत्म कर दें। बीच में घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए कोई वहां जाना चाहे तो वह सुविधा दे सकते हैं। अगर 12 बजे बहस शुरू हो जाती और लंच के लिए हम उठते, फिर हम यहां आये। दूसरी अड़चन यह है कि मंत्रिमंडल के लोगों को भी ऐसे ही काम के लिए जाना है। मैं समझता हूं सारे मंत्री जाना चाहें तो जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, तब तक हम बहस चालू रखें। अगर ऐसा हो जाए तो सदन की भी गरिमा रहेगी और हमारे राष्ट्रपति जो जा रहे हैं, उनके आयोजन में भी हम शामिल हो सकते हैं। मेरी दृष्टि से कानून के मुताबिक किसी तरह का चेंज नहीं करते हुए इस प्रकार का कदम हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : यह विशेष विषय माननीय अध्यक्ष के समक्ष उठाया गया था जब भाजपा के माननीय उप नेता भी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने हमें कहा था कि यह चर्चा जारी रहेगी।

जो सदस्य चाय के लिए जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। गणपूर्ति का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा और कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पहले मतदान किया जाएगा जो अपराह्न 2.45 बजे शुरू होगा। ... *(व्यवधान)* मैं आपको वही बता रहा हूं जो कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें यह भी कहा था कि ऐसा पूर्वोदाहरण भी है। हमने देखा है कि ऐसा पूर्वोदाहरण है।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया था कि ऐसा पूर्वोदाहरण है। श्री सोमनाथ चटर्जी का स्थगन प्रस्ताव था जिस पर चर्चा अगले दिन तक के लिए कर दी गई थी और चर्चा नौ घंटों तक जारी रही थी। उन्होंने हमें ऐसा बताया था कि इस प्रकार हुआ था। श्री चंद्रशेखर इसी बात के लिए कह रहे हैं। हमने भी यह सुझाव दिया था कि इसे एक दिन के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। श्री जसवंत सिंह जी वहां उपस्थित थे और हमें यह बताया गया था। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने चैम्बर में कहा था अगर उसका सार भी लिया जाए तो उसका अर्थ है कि हमें यह वाद-विवाद जारी रखना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद